

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या

15/36/2024

प्रवेश तिथि

14.06.2024

निर्णय दिनांक

19.06.2024

1. Canara Bank , Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari-123401

प्रार्थी

बनाम

1. Mr. Naveen Kumar S/O Kalu Ram Sheemor
2. Mrs. Manju W/O Naveen Kumar

All are Resident of:-

1. G-21/367, 3rd Floor Sector-7, Rohini, Delhi-110085
2. Flat No. 1408, 14TH Floor Tower B-2, Avalon Homes, Sector-106, Alwar Bye Pass Road, Bhiwadi Teh.- Tapukada, District Khairthal-Tijara 301019

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, Canara Bank , Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 31.07.2019 को 18,00000/-रु.—(अक्षरेन—अठारह लाख रुपये मात्र) का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति Flat No. 1408, 14TH Floor Tower B-2, Avalon Homes, Sector-106, Alwar Bye Pass Road, Bhiwadi Teh.- Tapukada, District Khairthal-Tijara vide Sale Deed On 201902213000997 Dated 19-08-2019 अन्तर्गत स्वामित्व Mr. Naveen Kumar S/O Kalu Ram Sheemor प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 30.10.2023 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Flat No. 1408, 14TH Floor Tower B-2, Avalon Homes, Sector-106, Alwar Bye Pass

Road, Bhiwadi Teh.- Tapukada, District Khairthal-Tijara vide Sale Deed On
201902213000997 Dated 19-08-2019 अन्तर्गत स्वामित्व Mr. Naveen Kumar S/O
Kalu Ram Sheemor का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि
प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 30.10.2023 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर
जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि कुल क़ाया 16,09,918 /-रूपये
(सौलह लाख नौ हजार नौ सौ अठारह रुपये मात्र) एवं इसके पश्चात का ब्याज एवं अन्य
खर्च सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने
के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का
निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल
एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत
उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान
है। अतः सिक्यूरिटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Flat No. 1408, 14 TH Floor Tower B-
2, Avalon Homes, Sector-106, Alwar Bye Pass Road, Bhiwadi Teh.-
Tapukada, District Khairthal-Tijara vide Sale Deed On 201902213000997
Dated 19-08-2019 अन्तर्गत स्वामित्व Mr. Naveen Kumar S/O Kalu Ram Sheemor
का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता
है, तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय
प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई Flat No.
1408, 14 TH Floor Tower B-2, Avalon Homes, Sector-106, Alwar Bye Pass
Road, Bhiwadi Teh.- Tapukada, District Khairthal-Tijara vide Sale Deed On
201902213000997 Dated 19-08-2019 अन्तर्गत स्वामित्व Mr. Naveen Kumar S/O
Kalu Ram Sheemor, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी
सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड
एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना
करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला
पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाफ़ा मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई
जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें।
इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल
दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुसे न्यायालय
में सुनाया गया।

(डॉ० आर्चिष्य शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)